एक वयस्क के रूप में किशोर परीक्षण

सन्दर्भ:

- हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) की धारा 15 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board)द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

मुख्य विशेषताएं:

- यह प्रारंभिक मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या एक किशोर पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2000से प्रतिस्थापित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 अधिनियम पहली बार, जघन्य अपराधों के मामलों में 16-18 आयु वर्ग के किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।

एक किशोर को एक वयस्क के रूप में आजमाने पर कानून:

- 2000 के किशोर न्याय अधिनियम को 2015 में संशोधित किया गया था, जिसमें कुछ मामलों (Children in Conflict with Law) में बच्चों को वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी।
- यह अधिनियम एक बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।
- सीसीएल के लिए, अपराध की तिथि पर आयु यह निर्धारित करने का आधार है कि वह बच्चा था या वयस्क।
- संशोधित अधिनियम 16-18 आयु वर्ग के बच्चों को एक ऐसी श्रेणी के रूप में परिभाषित करता है यदि उन पर जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया
- किशोर न्याय बोर्ड के सामने बच्चे को पहली बार पेश करने की तारीख से तीन महीने के भीतर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
- जब किशोर न्याय बोर्ड में बाल मनोविज्ञान या बाल मनोरोग में डिग्री के साथ अभ्यास करने वाला पेशेवर शामिल नहीं होता है, तो उसे अनिवार्य रूप से विशेषज्ञों की सहायता लेनी होगी।
- बच्चे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से एक कानूनी सहायता परामर्शदाता भी प्रदान किया जाना चाहिए जो प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान भी उपस्थित रहना चाहिए।
- जब एक किशोर को वयस्क के रूप में व्यवहार करने का आदेश दिया जाता है-
  - मामला बाल न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित किया जाता है। संशोधित अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, न्यायालय यह निर्णय पारित कर सकता है कि क्या बच्चे के वयस्क के रूप में परीक्षण की आवश्यकता हैया नहीं।
  - बाल न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक "सुरक्षा के स्थान" पर भेजा जाएऔर उसके बाद ही उसे जेल में स्थानांतरित किया जाए।

जाता है तो उन पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

- **जघन्य अपराध-** ऐसा अपराध जिसके लिए न्यूनतम सजा सात वर्ष कारावास है।
- मूल जेजे अधिनियम में 2015 के संशोधन से पहले, 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को किशोर माना जाता था।

किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया:

- किशोर न्याय बोर्ड को "इस तरह के अपराध करने की किशोर की मानसिक और शारीरिक क्षमता के संबंध में एक प्रारंभिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
  - अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता हो।
  - वे परिस्थितियां जिनमें उसने कथित रूप से अपराध किया था।
- **सजा:** यदिबच्चेपरवयस्ककेरूपमेंमुकदमाचलायाजाताहै, तो सजा आजीवन कारावास तक जा सकती है।
- यदि बच्चे पर बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाता है, तो विशेष गृह में अधिकतम तीन वर्ष की सजा हो सकती है।
- **एनसीपीसीआर की भूमिका:** एनसीपीसीआर जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 109 के तहत अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक वैधानिक दायित्व के तहत है।
- दिशा-निर्देश किसी भी अस्पष्टता को दूर करने और प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय पालन किए जाने वाले तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए बनाए गए हैं।

चीता

सन्दर्भ:

- हाल ही मेंएक छह वर्षीय नर चीता (जिसे इस वर्ष की शुरुआत मेंदक्षिण अफ्रीका से म उद्यान
  में लाया गया था) की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई।

मुख्य विशेषताएं:

- यह 18 फरवरी, 2023 को दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए 12 चीतों में से एक है।
- यह हाल के महीनों में नामीबियाई चीतासाशा की गुर्दे की बीमारी से मृत्यु हो जाने के बादभारत में चीतों की मृत्यु दर को दो तक लाता है।
- देश में चीतों की कुल संख्या अब 22 हो गई है,
- भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की मदद से मंत्रालय दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से चीतों को स्थानांतरित करेगा। सितंबर 2022 में, आठ चीतों जिसमे पांच मादा और तीन नर को नामीबिया, अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क (केएनपी) में स्थानांतरित किया गया था।
- इस वर्ष 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से बारह चीतों को केएनपी में स्थानांतरित किया गया था।

पिछले महीने एक चीता ने चार शावकों को जन्म दिया।

चीता

- एशियाटिक चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो 1950 के दशक में शिकार और आवास के नुकसान के कारण भारत से विलुप्त हो गया था।
- केवल ईरान में लगभग 40-50एशियाई चीते पाए जाते हैं।
- **एशियाई चीता की संरक्षण स्थिति:**IUCN- गंभीर रूप से संकटग्रस्त (अफ्रीकी चीता संवेदनशील श्रेणी है)
- CITES- परिशिष्ट 1 (अफ्रीकी चीता के समान)

जल निकाय गणना

सन्दर्भ:

- हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने पहली जल निकाय जनगणना की एक रिपोर्ट ज
- यह देश में जल निकायों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

जल निकाय की परिभाषा:

- एक संरचना जहां बर्फ के पिघलने, धाराओं, झरनों, बारिश या आवासीय या अन्य क्षेत्रों से जल निकासी का पानी जमा होता है या एक धारा, नाला या नदी से पानी को मोड़कर संग्रहीत किया जाए, जल निकाय कहलाता है।

जल निकायों की गणना की मुख्य विशेषताएं:

- जल निकाय जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तालाबों, टैंकों और झीलों जैसे लगभग 24.24 लाख जल निकाय हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक (7.47 लाख) और सिक्किम में सबसे कम (134) है।
- रिपोर्ट के अनुसार, "देश में 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है, जिनमें से 97.1% (23,55,055) ग्रामीण क्षेत्रों में और केवल 2.9% (69,485) शहरी क्षेत्रों में हैं।
- इसमें जल निकाय तालाब59.5% (14,42,993), उसके बाद टैंक (15.7%, यानी 3,81,805), जलाशय (12.1%, यानी
- सभी गणना किए गए जल निकायों में से 1.6% जल निकायों के अतिक्रमित होने की सूचना है, जिनमें से 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और शेष 4.6% शहरी क्षेत्रों में हैं।
- कुल 24.24 लाख जल निकायों में से, 38,496 जल निकायों का अतिक्रमण किया गया, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 15,301 हैं।
- इसके बाद तमिलनाडु (8,366) और आंध्र प्रदेश (3,920) था।
- चार राज्यों - पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से जलाशयों पर अतिक्रमण की सूचना नहीं है।
- पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना को देश भर में सबसे अधिक (3.55 लाख) जल निकायों वाले शीर्ष जिले के रूप में स्थान दिया गया है।
  इसके बाद आंध्र प्रदेश का अनंतपुर (50,537) और पश्चिम बंगाल का हावड़ा (37,301) जिला है।

2,92,280), जल संरक्षण टैंक/चेक डैम (9.3%) हैं यानी 2,26,217), झीलें (0.9%, यानी 22,361) और अन्य(2.5%, यानी 58,884)हैं।

- पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं, तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं और महाराष्ट्र जल संरक्षण योजना के लिए अग्रणी राज्य है।
- चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश (993), दिल्ली (893), चंडीगढ़ (188) और सिक्किम (134) जिसमे प्रत्येक में 1,000 से कम जल निकाय हैं।

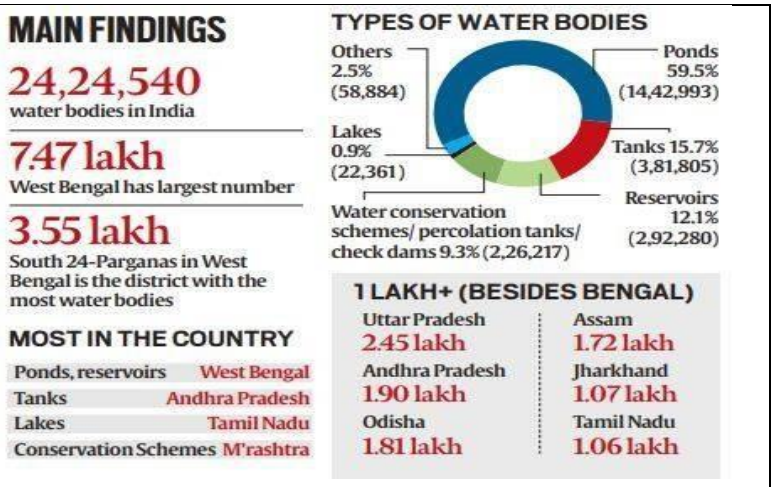

इंडिया हैंड मेड पोर्टल

सन्दर्भ:

- इंडिया हैंड मेड पोर्टल, भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है र बुनकरों
को ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक सीधा चैनल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह पोर्टल35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों के उत्पादों और 27 लाख से अधिक हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पादों की पेशकश करता है, जिसमें कपड़े, गृह सज्जा, आभूषण और सहायक उपकरण शामिल हैं।
- यह पोर्टल कारीगरों और बुनकरों को सीधे ग्राहकों से जोड़कर, बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कारीगरों और बुनकरों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले।
- इंडियाहैंडमेड पोर्टल बुनकरों और कारीगरों को
- यह पोर्टल विक्रेताओं को पंजीकरण से लेकर ऑर्डर पूरा होने तक मुफ्त हैंडहोल्डिंग प्रदान करता है, जिससे उन्हें रसद, भुगतान और ऑनलाइन बिक्री के अन्य पहलुओं में मदद मिलती है।
- यह पोर्टल ग्राहकों को अनुकूल सुविधाएँ जैसे- मुफ्त शिपिंग और वापसी के विकल्प, एक निर्बाध खरीदारी अनुभव आदि प्रदान करता है।
- इंडियाहैंडमेड पोर्टल भारत में कारीगरों और बुनकरों को बढ़ावा देने में सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
- यह पीएम-विकास पहल का पूरक है, जिसका उद्देश्य छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को उन्नत

अपनी पहुंच का विस्तार करके और बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच बनाकर ई-उद्यमी बनने का अवसर भी प्रदान करता है।	कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीक, ब्रांड प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। • यह पोर्टल "वोकल फॉर लोकल" आंदोलन को बढ़ावा देने, स्थानीय कारीगरों और शिल्प कौशल का समर्थन करने और स्थायी आजीविका को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संक्षिप्तसुर्खियां

नागोर्नो-कारबाख़

सन्दर्भ:

- हाल ही मेंअजरबैजान ने कहा कि उसने लाचिन कॉरिडोर की शुरुआत में एक चेक पॉइंट स्थापित किया था(जो आर्मेनिया को नागोर्नो-काराबाख से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग था)जिसके बाद एजेरी और अर्मेनियाई दोनों सेनाओं द्वारा सीमा पर गोलीबारी के दावे किए गए थे।

नागोर्नो-काराबाख के बारे में:

- नागोर्नो-काराबाख(अर्मेनियाई लोगों द्वारा आट्र्सख- Artsakhके रूप में जाना जाता है)दक्षिण काकेशस में एक स्थलरुद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद अज़रबैजान और अर्मेनिया दोनों ने इस पर दावा किया था और तब से यह तनाव का कारण बना हुआ है।
- यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल समृद्ध अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- हालांकि इसके निवासी मुख्य रूप से जातीय आर्मीनियाई हैं।
- इनकी अपनी सरकार है जो पड़ोसी अर्मेनिया सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध रखती है लेकिन उसे या संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राज्यों द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है।
- अर्मेनियाईके ईसाई इस क्षेत्र में एक लंबे ऐतिहासिक प्रभुत्व का दावा करते हैं, जो ईसा से कई सदियों पहले का है।
- अजरबैजान(जिसके निवासी ज्यादातर मुस्लिम हैं)अपनी ऐतिहासिक पहचान को भी इस क्षेत्र से जोड़ता है। यह अर्मेनियाई लोगों पर 1990 के दशक में आस-पास

	रहने वाले एज़ेरिस को बाहर निकालने का आरोप लगाता है। यह एन्क्लेव पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना चाहता है, यह सुझाव देते हुए कि जातीय अर्मेनियाई लोग एजेरी पासपोर्ट लेते हैं या छोड़ देते हैं।
मोरेल मशरूम 	**सन्दर्भ:** • गुच्छी, जिसे मोरेल मशरूम के रूप में भी जाना जाता है, भारत के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और बेशकीमती व्यंजन है। **मुख्य विशेषताएं:** • यह एक जंगली मशरूम है जो मोरचेलेसी परिवार (Morchellaceae family) से संबंधित है और अपने अनोखे स्पंजी सिर के लिए जाना जाता है। इसमें मांस जैसा स्वाद होता है। • इसमें ब्लैक मोरेल और येलो मोरेल जैसी अन्य मशरूम किस्में भी शामिल हैं। • यह विटामिन बी, सी, डी और के का एक समृद्ध स्रोत है, जो इसे एक स्वस्थ आहार के लिए एक उपयोगी बनाता है। • गुच्ची मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों मेंपाई जाती है । • यह जंगलों में, पेड़ों की जड़ों के पास और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगता है। • यह हिमालय के अलावा अखनूर में चिनाब के किनारे पाई जाती है।
SAWGAT पहल 	**सन्दर्भ:** • हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में SWAGAT पहल की 20वीं वर्षगांठ में भाग लिया। **मुख्य विशेषताएं:** • इसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार के बीच उनकी दिन-प्रतिदिन कीशिकायतों को त्वरित, कुशल और समयबद्ध तरीके से हल करके एक सेतु के रूप में कार्य करना था।
ऑपरेशन कावेरी	**सन्दर्भ:** • हाल हीमेंविदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे लगभग 3,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू करने की घोषणा की। • सूडान, पिछले 10 दिनों से वहां की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच संघर्ष

का सामना कर रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

- वर्तमान मेंबचाव अभियान चल रहा है जिसमें लगभग 500 भारतीय सोमवार, 24 अप्रैल 2023 तक सूडान पोर्ट पहुंच चुके हैं।
- दो सी-130 विमान और नौसेना का जहाज आईएनएस सुमेधा हिंसा प्रभावित अफ्रीकी देश से भारतीयों को निकालने के लिए भेजा गया हैं।
- सूडान में बचाव कार्यों का नाम ऑपरेशन कावेरी उसी उद्देश्य के लिए रखा गया है जिस उद्देश्य से यूक्रेन में बचाव कार्यों का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया था।
- ऑपरेशन कावेरी नामकरण का तात्पर्य, जिस प्रकार नदियाँबाधाओंकेबावजूदअपनेगंतव्यतकपहुँचतीहैंउसी प्रकार यह अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाएगी।

जीरो शैडो डे

सन्दर्भ:

- हाल ही में बेंगलुरु ने एक 'जीरो शैडो डे' का अनुभव किया, जब लंबवत वस्तुएं कोई छाया नहीं डालती हैं।
- ऐसा इसलिए था चूंकि सूर्य एक ऐसी खास स्थिति में था और धूप हमारे ऊपर इस तरह पड़ती है कि छाया नहीं बनती।

मुख्य विशेषताएं:

- कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष में दो 'जीरो शैडो डे' होते हैं।
    - बेंगलुरु के लिए अगला 18 अगस्त को है।
    - जीरो शैडो डे कटिबंधों के बीच के स्थानों तक ही सीमित हैऔर इसलिए भारत में रांची के उत्तर में स्थित स्थान इससे बाहर हैं।
- एकउत्तरायण(जबसूर्यउत्तरकीओरबढ़ताहै)केदौरानपड़ताहैऔर दूसरा दक्षिणायन (जब सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है) के दौरान होता है।
- उत्तरायण, शरद अयनांत (solstice) से ग्रीष्म अयनांत तक दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य की गति और दक्षिणायन, उत्तर से दक्षिण की ओर वापस होता है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर क्रांति के अक्ष पर लगभग 23.5° के कोण पर झुका हुआ है।
- वे सभी स्थान जिनका अक्षांश उस दिन सूर्य के स्थान और भूमध्य रेखा के बीच के कोण के बराबर होता है, उस स्थान पर दोपहर में किसी वस्तु के नीचे छाया के साथ

जीरो शैडो डेका अनुभव करते हैं।

टैली(Talle) वन्यजीव अभयारण्य

सन्दर्भ:

- हाल ही में शोधकर्ताओं ने टैली वन्यजीव अभयारण्य में एक नए कीट की खोज की है।

मुख्य विशेषताएं:

- यहजलेजैसा दिखने वाला कीट,अधिकतरदिनमेंउड़नेवालाहै।
- यह Zygaenidaeपरिवार से संबंधित है, जिसमें फॉरेस्टर और बर्नेट मॉथ शामिल हैं।
- बर्नेट और फॉरेस्टर पतंगे चमकीले रंग के दिन में उड़ने वाले पतंगे होते हैं, जिनमें अक्सर क्लब्ड एंटीना होते हैं।

टैली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- टैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश (भारत) के ऊपरी सियांग जिले में स्थित है।
- यह लगभग 337 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह जानवरों की कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे कि तेंदुआ, एशियाई काला भालू, लाल पांडा, हाथी आदि का घर है ।
- यह अभ्यारण्य पक्षियों की विविधता के लिए भी जाना जाता है, यहां पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं।
- यह अभयारण्य WLS सुबनसिरी, सिपु और पांगे नदियों के बीच स्थित है।

लॉकबिट रैंसमवेयर

सन्दर्भ:

- साइबर अपराधियों ने macOS उपकरणों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए रैनसमवेयर एन्क्रिप्टर्स विकसित किए हैं, जो विशेष रूप से Apple कंप्यूटरों को लक्षित करने वाला पहला प्रमुख रैंसमवेयर ऑपरेशन है।

मुख्य विशेषताएं :

- लॉकबिट रैंसमवेयर का एक उपवर्ग है जिसे 'क्रिप्टो वायरस' के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह डिक्रिप्शन के बदले में वित्तीय भुगतान के लिए फिरौती का अनुरोध करता है।
- लॉकबिट रैंसमवेयर पीड़ितों के सिस्टम में घुसपैठ करने और महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए विकसित किया गया है।

	• लक्षित व्यक्ति की फाइलों को एन्क्रिप्ट करते समय उपयोग किए जाने वाले फ़ाइल एक्सटेंशन के कारण इसे एबीसीडी वायरस करार दिया गया था। • यह ज्यादातर उद्यमों और सरकारी संगठनों पर केंद्रित है। • सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्व-प्रसार करने की क्षमता है, अर्थात यह अपने आप फैलता है। • इसकी प्रोग्रामिंग में लॉकबिट को पूर्व-डिज़ाइन की गई स्वचालित प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित किया जाता है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare